(18)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 खुशाल
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 62 / 2023

रोहित धनकड पुत्र विजयपाल धनकड, निवासी बी–105, तिरूपति निलय, सीकर रोड, जयपुर, पिन कोड 302013, मो0न0 7230025075

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 21.06.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.03.2023 को इस न्यायालय में ऑनलाईन प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 62 / 2023 पर दिनांक 27.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2023 / 1169–72 दिनांक 27.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सूचना का अधिकार / 2023 / 311 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आरटीआई प्रार्थना पत्र सं0 348214718471327 के क्रम मे प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक सूचना का अधिकार / 2023 / 300 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा अवगत करवा दिया गया है कि बिन्दू सं0 1, 2 व 3 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दू सं0 4 की सूचना कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण नही दी जा सकती है। बिन्दू सं0 5 की सूचना प्रार्थी से संबंधित नही होने व सार्वजनिक सूचना नही होने से नही दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा पत्रांक पत्रांक सूचना का अधिकार / 2023 / 311 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आरटीआई प्रार्थना पत्र सं0 348214718471327 के क्रम मे प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक सूचना का अधिकार / 2023 / 300 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा अवगत करवा दिया गया है कि बिन्दू सं0 1, 2 व 3 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दू सं0 4 की सूचना कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण नही दी जा सकती है। बिन्दू सं0 5 की सूचना प्रार्थी से संबंधित नही होने व सार्वजनिक सूचना नही होने से नही दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 खुशाल)
जिला कलक्टर झुंझुनूं